German contribution for Welfare of Tea Garden Workers

2132. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the German buyers/purchasers of darjeeling Tea pay more prices than the actual rates so that their contribution can be utilised for welfare meaures for the garden workers;

(b) if so, what amount of money was received by the exporters/sellers of Darjeeling Tea to German buyers during the last two year; and

(c) what welfare measures were taken with this amount with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM):(A) no such information is available with the Tea Board.

(b) and (c) do not arise.

Subsided wheat to Bread Makers by FCI

2133. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have directed Food Corporation of India for supply of subsidised wheat to all the bread manufacturing units in the country:

(b) whether this subsidised wheat is being supplied only to Modern Food Industries Limited;

(c) If so, whether Government are aware that thousands of private small scale bread manufacturing units are in deep crisis being unable to match the reduced MFIL prices which is taking advantage of the availability of subsidised wheat;

(d) whether the south India Bread Manufacturers Association has submitted representations to Government; and

(e) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The Government have directed to Food corporation of India to supply subsidised wheat only to Modern Food Industries Ltd., and its franchised units.

No documentary evidence has so far been produced by any Bread Manufacturer in support of their claim that they are facing crisis for being unable to match the reduced prices of bread produced by Modern Food Industries Ltd.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

भूमिहीन मजदूरों की दुर्दशा

2134. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1995 के "दि फालैंडलैस एक्सप्रेस' में "दि प्लाइट आँफ लैंडलैस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी-रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का प्रतिशत जो 1989-90 में लगभग 34 था, वह बढ़कर 1992-93 में 43 प्रतिशत हो गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकारी अनुमान क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने के लिये बाध्य लोगों की संख्या का पता लगाने हेतु हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा जारी किए गए घरेलू खपत व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण डाटा का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाता है। 1980 में गरीबी के अनुमान 1983 (एन एस एस 38वां दौर) और 1987-88 (एन एस एस 43वां दौर) में किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता 1983-84 में 40.4 प्रतिशत से गिरकर 1987-88 में 33.4 प्रतिशत हो गई। बाद के वर्षों के लिए गरीबी के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 1993-94 (एन एस एस 50वां दौर) के लिए घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण किया है।

उपभोक्ता मंच की शक्तियां

2135. **श्री रामजीलाल:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता मामलों के संबंध में उपभोक्ता मंचों की शक्तियां क्या-क्या हैं;

(ख) इस समय राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं और उनको कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ग) इन मामलों की अपील के संबंध में प्रावधान क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जिला मंच, उन शिकायतों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हैं, जिनमें वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य तथा क्षतिपूर्ति की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**। जिला मंचों में कार्य के दबाव को देखते हुए ऐसी कोई तारीख, जब तक कि ये मामले निपटा लिए जाएंगे, नियत करना सम्भव नहीं है।

(ग) जिला मंच के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य आयोग में अपील दायर कर सकता है।

विवरण

विभिन्न राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में अनिर्णीत पड़े मामले दर्शाने वाला विवरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग		जिला मंच	
	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	अनिर्णीत अपीलों की संख्या	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	निम्नलिखित को समाप्त अवधि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	748	961	12965	30.9.95
अरुणाचल प्रदेश	5	6	9	31.3.95
असम	244	140	1582	30.6.95
बिहार	273	1012	9685	30.6.95
गोवा	21	38	615	30.9.95